

उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्तिके नवीन पोर्टल का शुभारंभ

चर्चा में क्यों?

11 जुलाई, 2022 को राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के लिये उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के नवीन पोर्टल का शुभारंभ किया।

प्रमुख बंदि

- इस अवसर पर उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों की सुविधा के लिये नवीन पोर्टल में कई नए प्रावधान किये गए हैं। विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का समय पर भुगतान हो जाना नवीन पोर्टल का प्रमुख उद्देश्य है।
- उन्होंने कहा कि इस बार जुलाई माह में ही छात्रवृत्ति पोर्टल को खोला गया है, ताकि विद्यार्थी अपने कॉलेज/संस्थान में प्रवेश के समय ही छात्रवृत्ति के लिये आवेदन कर सकें।
- वंभिग के शासन सचिव डॉ. समति शर्मा ने बताया कि नवीन पोर्टल में फीस रसीद वलिोपति कर पाठ्यक्रमवार पुनर्भरण योग्य राशा का पोर्टल द्वारा स्वतः गणना कर प्रतपूरत किये जाने का प्रावधान करते हुए राजकीय संस्थानों के समस्त व नजी संस्थानों के केवल नवीनीकरण आवेदन-पत्रों को ज़िला कार्यालय पर स्वतः सत्यापन की व्यवस्था प्रभावी की गई है।
- नवीन पोर्टल के तहत शक्तिषण संस्थान के पेज पर पाठ्यक्रमवार व कक्षावार फीस स्ट्रक्चर पूर्व में ही भरने व तदनुसार छात्रवृत्ति भुगतान तथा आधार बायोमैट्रिक उपस्थिति के आधार पर ही आवेदन अग्रेषण/सत्यापन व स्वीकृति की व्यवस्था की गई है।
- इस बार आवेदन-पत्रों के त्वरति नसितारण के लिये विद्यार्थी व शक्तिषण संस्थान को प्रत्येक 7 दविस में चेतावनी संदेश प्रसारति कया जाएगा व आक्षेप पूरति नहीं करने पर 30 दविस में आवेदन नरिसत कर दया जाएगा।
- इसके साथ ही आवेदन-पत्रों की मानवीय प्रकरया से सत्यापन की स्थिति में वेरीफाई स्तर पर आवेदनों को जाँचने की समय-सीमा को 10 दविस व ज़िलाधिकारी स्तर पर 10 दविस तक कयि जाने की समय-सीमा नरिधारति की गई है।
- नवीन पोर्टल पर मार्च 2020 से विद्यार्थी के गत वर्षों के आवेदन का वविरण विद्यार्थी के आवेदन पर ही सत्यापनकरत्ता को प्रदर्शति कयि जाने के कारण गैप प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
- इस बार योजना में अनुसूचित जाति छात्रवृत्तिके नवीन दशा-नरिदेशानुसार विद्यार्थी की छात्रवृत्तिकी सुनशिचतिता हेतु पोर्टल पर फ्रीशिप कार्ड का प्रावधान कया गया है, ताकि इच्छुक व्यक्ता द्वारा अपना वविरण अंकति करने पर उसकी पात्रता का स्वतः सत्यापन होकर स्वतः एक फ्रीशिप कार्ड जारी होगा।
- नए प्रावधानों के तहत अगले शैक्षणिक सत्र में उपस्थिति या पदोन्नति के आधार पर छात्र का छात्रवृत्ति नवीनीकरण हेतु स्वतः आवेदन होगा तथा वशि्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के प्रवेश व परीक्षा के डेटाबेस को डजिलिऑकर डाटाबेस से डजिटिल रूप से जोड़ा गया है, ताकि पोर्टल इस डाटाबेस से आवश्यक जानकारी प्राप्त करने में सकषम हो, ताकि स्वीकृति व नवीनीकरण हेतु छात्र की पात्रता भी नरिधारति हो सके।